न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– रामकरण सिंह, (RAS)

दावा सं0––18/2019

प्रविष्टि दिनांक––31.01.2019

1. राजेन्द्र पुत्र अम्बालाल उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. राजवीर पुत्र अम्बालाल उम्र 43 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. ताराचन्द पुत्र अम्बालाल उम्र 41 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. राजनारायण पुत्र अम्बालाल उम्र 22 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. राजकंवर पुत्री अम्बालाल उम्र 46 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
6. रायकंवर पुत्री अम्बालाल उम्र 39 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
7. सदाकंवर पुत्री अम्बालाल उम्र 36 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
8. दीपकंवर पुत्री अम्बालाल उम्र 34 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टॉक राज.
9. लाडा पुत्री रामरख उम्र 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.
10. रूपनारायण पुत्र रामरख उम्र 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज.

वादीगण

बनाम

1. श्योराज पुत्र राजाराम जाति गुर्जर निवासी हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक
2. बद्री पुत्र गेन्दीलाल जाति जाट निवासी भुरटिया तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. शिवकुमार शर्मा पुत्र श्री नामालूम हॉल सचिव ग्राम पंचायत लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक
4. कजोड पुत्र गौरू जाति गुर्जर निवासी हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक
5. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग निवाई जिला टोंक राज.
6. तहसीलदार महोदय निवाई, जिला टॉक राज.

प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार जाट– अधिवक्ता वादी
अधिवक्ता श्री रामफूल जैन– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05
प्रवितवादी संख्या 01 ता 04 व 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

निणर्य
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

यह कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 285/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरभांवता, पटवार हल्का हरभांवता, तहसील निवाई जिला टोंक राज. में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपनी कृषि भूमि को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है। यह कि वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण का दूर तक भी वास्ता नही है किन्तु प्रतिवादीगण जबरन लठठबल व भुजबल की ताकत से आपस में मिलीभगत करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बहकावे में आकर वादीगण की भूमि में से नाजायज रूप से जरबदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 285/1 के अलावा राजस्व शीट में रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 281 में राजस्व शीट में एवं जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज है तथा मौके पर भी उक्त रास्ते से ही होकर आमजन आते जाते रहे है वादीगण की खातेदारी भूमि में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है जबकि प्रतिवादीगण जबरदस्ती नाजायज रूप से वादीगण की खातेदारी की भूमि के बीच में से होकर रास्ता निकालने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के खातेदारी एव कब्जे काश्त की वाद वर्णित भूमि में से होकर कोई रास्ता नही निकाले कोई कच्ची पक्की सडक नहीं बनावे वादीगण की भूमि में से होकर मिट्टी आदि नही खोदे खेत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन परिवर्धन नही करे वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा मजाहमत नही करे। प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं नही करे तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नहीं करवावे। तथा हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द रहे। यह कि यदि प्रतिवादीगण को उक्तानुसार पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की खातेदारी भूमि से होकर रास्ता निकाल लेगे जिससे वादीगण वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में अपने जायज एवं वैधानिक हक व अधिकार से वंचित व महरूम हो जावेगे। जिसके कारण वादीगण को अपूर्तनीय व अकथनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में सम्भव नही हो सकेगी। वादीगण को अत्यन्त असुविधा एवं कठिनाई कारित होगी तथा उनको भारतीय संविधान के तहत समस्त संवैधानिक एवं विहित हक व अधिकारो से महरूम होना पडेगा ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये

स्थाई निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जाकर रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत लुहारा के सरंपच एवं सचिव है जो राजनैतिक रंजिश के कारण राजस्व शीट में दर्ज रास्ते को छोडकर वादीगण के खेत में से होकर जबरदस्ती रास्ता बनाने पर आमादा है और वादीगण से द्वेषता रखते है जो प्रतिवादी संख्या 5 से मिलकर वादीगण की खातेदारी भूमि में से होकर जबरदस्ती रास्ता बनाने पर आमादा है जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिये उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। यह कि प्रतिवादी संख्या 5 राज्य सरकार के कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी के तहत वाद पेश करने अनुमति न्यायालय से प्राप्त कर उक्त वाद पेश किया जा रहा है।यह कि विनाय दावा दिनांक 30.1.2019 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की खातेदारी भूमि के खेत में होकर रास्ता निकालने पर आमादा हो गई एवं वादीगण द्वारा नापचौप करवाने हेतु कहने पर भी जबरन वादीगण की भूमि से होकर रास्ता निकालने की धमकियां दी एवं उतारू हो गये तब से वाद कारण बहक वादी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। यह कि विवादित भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण मान्य न्यायालय हाजा को उक्त वाद का पूर्ण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि दावा उचित न्यायालशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की इस अमर की डिकी सादिर फरमायी जावे कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 285/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरभांवता में स्थित भूमि में से होकर प्रतिवादीगण कोई रास्ता नही बनावे तथा राजस्व शीट में खसरा नम्बर 281 में अंकित रास्ते की भूमि से होकर ही रास्ता बनावे तथा वादीगण की खातेदारी में बाघा मजाहमत नही करे वादीगण की फसल को नष्ट भ्रष्ट नही करे प्रतिवादीगण उक्त ऐसा कृत्य स्वयं नही करे तथा जरिये एजेन्ट नौकर पारिवारिक व्यक्ति अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी से नही करवावे। तथा हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द रहे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 06 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से जवाब दावा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे साक्ष्य वादी बंद किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य व जिरह पेश करने से मना कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाम सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये वाद वर्णित भूमि में से होकर प्रतिवादीगण कोई रास्ता नही बनाने, वादीगण की खातेदारी में बाघा मजाहमत नही करने, वादीगण की फसल को नष्ट भ्रष्ट नही करने के लिए हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द फरमाये जाने के लिए निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रतिपक्षी 5 के द्वारा मौके पर खसरा नं0 285 /1 की कोई सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ना ही किया गया है। वाद गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। जब प्रतिपक्षी सं0 5 के द्वारा कोई सड़क निर्माण ही नहीं की जा रही है तो पाबन्द किये जाने का सवाल ही नहीं है। वादीगण द्वारा गलत रूप से पक्षकार बनाकर दावा पेश किये जाने के कारण विभाग को नुकसान हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति सिविल प्रकिया संहिता की धारा 35ए के तहत विशेष हर्जे से पूर्ति की जानी चाहिये एवं विभाग को दस हजार की क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे व दावा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। वादीगण की ओर से पत्राली में ऐसा कोई साक्षय सबूत व दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है जिससे की प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जाने के अलावा न्यायालय के पास अन्य कोई विकल्प नहीं हों। दोहराने बहस भी अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे कि वादीगण का वाद साबित होता हो और प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात पर पाबन्द फरमाया जावे। ऐसे में वाद वादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में एवं साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में वाद वादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 285/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरभांवता में अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 8/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई